# न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

**पीठासीन अधिकारी** : श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

**राजस्व वादपत्र संख्या** : 119/2023

**GCMS No.** : 2023/236

| वादी :– | बनाम | प्रतिवादी :– |
|---|---|---|
| 1. तहसीलदार, जैतारण<br>लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार<br>तहसील–जैतारण,<br>जिला–ब्यावर। | | 1. अरूणा भाटी पत्नी राधेश्याम<br>जाति– राजपूत, निवासी–<br>लाम्बिया,तहसील–जैतारण,<br>जिला–ब्यावर (राज.) |

**राजस्व वादपत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955** **तारीख रजू –: 016.06.2023**

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण, पैरोकार सरकार।

2. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, प्रतिवादी

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉक :–16/10/2024**

वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि हाल खसरा नंबर 705/20 कुल रकबा 0.259058 हैक्टेयर मौजा कुड़की में स्थित हैं। उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर हैं। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी ने जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रकिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर डिजल पम्प लगाकर जमीन को खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है प्रतिवादीगण ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं दावा हाजा के लिए मुखासमत दिनांक 10.03.2023 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से अवैध रूप से डिजल पम्प लागने का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01

उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

इस पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की और से वकालातनामा एवं जवाब वादपत्र पेश हुआ। जवाब वादपत्र में जाहिर किया कि वादपत्र के पद संख्या 01 का जवाब है कि सरहद मौजा कुडकी पटवार हल्का कुडकी भु अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान वाके आराजी खसरा नंबर 705/20 कुल रकबा 0.2590 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की प्रतिवादीया अरूणा भाटी पत्नी राधेध्याम जाति रावणा-राजपुत साकिन लाम्बिया देह खातेदार के नाम से आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादीया ने अपने कृषि उपज व कृषि सयंत्र हेतु एक कमरे का निर्माण भी करवा रखा हे। वादपत्र के पद संख्या 02 का जवाब है कि प्रतिवादीया ने अपनी उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई डिजी पम्प नहीं लगाया है न ही प्रतिवादीया के नाम को कोई डिजलपम्प की कार्यवाही की गई है। वादी ने गलत तथ्यों का समावेश कर गलत रूप से प्रतिवादीया के विरूद्ध कार्यवाही पेश की है। प्रतिवादीया ने अपनी उक्त भूमि का कृषि हेतु ही काम में ले रही है तथा प्रतिवादीया ने किसी प्रकार का अकृषि कार्य उक्त कृषि भूमि में नहीं किया है। अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 03 का जवाब है कि उक्त पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत है प्रतिवादीया ने अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि में कृषि कार्य से आने वाली उपज धान इत्यादि के स्टोरेज हेतु एक छोटा सयंत्र के रख रखाव हेतु व पशु आहार रखने हेतु उपयोग में ले रही है। इसके अलावा प्रतिवादीया ने अपनी कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण या डिजल पम्प नहीं लगा रखा है। प्रतिवादीया उक्त कमरे को मात्र खेती के कार्य हेतु काश्तकार के रूप में काम में लेती आ रही है। प्रतिवादीया व उसके परिवार हेतु रहवास और पशुओं के पशु आहार के रख रखाव हेतु यह कमरा बना हुआ है जो अकृषि कार्य हेतु काम में नहीं लिया जाता है तथा ऐसे निर्माण से कृषि भूमि को हानि व हास नहीं होता है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीया के विरूद्ध दर्ज की गई कार्यवाही व नोटिस को अपास्त कर कार्यवाही को ड्रोप फरमावे। मौके की रिपोर्ट न्यायहित में मंगवाई जाकर उक्त कृषि भूमि की भौतिक रूप से तथ्यों एवं परिस्थितियों का सत्यापन किया जावे। इसलिए मौके की रिपोर्ट मंगवाई जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी ने दिनांक 10.03.2023 को बिनाय वाद पैदा होने की गलत तारीख अंकित की है पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट बनाकर गलत तथ्यों के आधार पर बिनाय वाद की तारीख अंकित कर गलत वादपत्र पेश किया है प्रतिवादीया ने अपनी उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का डिजल पम्प नहीं लगाया है फिर भी पटवारी हल्का ने वादी को इस सम्बन्ध में गलत रिपोर्ट देकर के गलत वादपत्र पेश करवाया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे। प्रतिवादीया के विरूद्ध धारा 177, 92 क आरटी एक्ट 1955 के तहत किसी तरह का कोई प्रथमदृष्टिया नहीं बनता है इसलिए प्रतिवादीया के विरूद्ध पेश की गई कार्यवाही व

उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,जैतारण(ब्यावर)

नोटिस अपास्त फरमावे। उपरोक्त जवाब के आधार पर वादी प्रतिवादीया के विरूद्ध किसी प्रकार का बेदखली की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जावे तथा वादी प्रतिवादीया के विरूद्ध धारा 289 आरटी एक्ट के तहत किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। क्योकि प्रतिवादीया ने अपनी उक्त कृषि भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 13.10.2016 के जरिये खातेदार सोहन पुत्र हरजीराम जी कौम कीर निवासी ग्राम कुडकी से खरीद की है तब से लगातार जमाबन्दी में प्रतिवादीया बतौर काबिज खातेदार काश्तकार के रूप में चली आ रही है जो वर्तमान राजस्व जमाबन्दी से स्पष्ट साबित है तथा प्रतिवादीया ने अपनी उक्त कृषि भूमि के मौके के जो फोटोग्राफस पेश किये है जिससे स्पष्ट साबित है कि उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई डिजल पम्प लाग हुआ नहीं है तथा प्रतिवादीया ने अपने नाम से कोई डिजल लगाने की कार्यवाही कही पर भी पेश की है। केवल मात्र प्रतिवादीया को तंग व परेशान करने की नियत से वादी ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर झूठा वादपत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस वादी सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज, नवीनतम मौका फोटोग्राफ का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 07.10.2024 को प्रस्तुत तहसीलदार, जैतारण द्वारा भू रूपान्तरण आदेश Certificate Ref. N0. Lc/2024-25/195862 दिनांक 05.09.2024 द्वारा वादग्रस्त आराजी को गैर कृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा प्रदान करते हुए अभिधृति अधिकारो को निर्वापित किया जा चूका है। अतः वादग्रस्त आराजी वर्तमान में कृषि भूमि नही होने के कारण प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही संधारणीय नही है। अतः हस्तगत वादपत्र विधिविरूद्ध होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

## –: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 16/10/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला–ब्यावर)